विधायक विकास निधि योजना

• **पृष्ठभूमिः–** विधानसभा के मा0 सदस्यों के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2002 में विधायक निधि योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक विधानसभा के मा0 सदस्यों के द्वारा अनुभव की जा रही स्थनीय आवश्यकताओं के अनुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यों की सूची मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है एवं मुख्य विकास अधिकारी विधायक निधि की मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए उसे कार्यान्वित किया जाता है।

• **कार्यों की स्वीकृति एवं निष्पादनः–** मा0 विधायक गणों से कार्यों की सूची अभिज्ञापित होने के पश्चात् मुख्य विकास अधिकारी स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाती है। मा0 सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। इस योजना के अर्न्तगत जिला स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु समन्वय अनुश्रवण एवं उनके समग्र परिवेक्षण के लिए मुख्य विकास अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है।

• **धनराशि की स्वीकृतिः–** विधायक निधि योजना के अर्न्तगत प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 3.75 करोड़ की धनाशि शासन से आवंटित की जाती है। जिसमें मा0 विधानसभा सदस्य द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 25.00 लाख तक की लागत वाले कार्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं तथा योजना के अर्न्तगत बिना निविदा आमंत्रित किये अर्थात् विभागीय पद्धति/कार्यादेश के आधार पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की सीमा रू0 5.00 लाख तक रहेगी।

• **अनुमन्य कार्यः–** विधायक निधि के अर्न्तगत कराये जा सकने वाले अनुमन्य कार्यों के लिए मार्गनिर्देशिका के बिन्दु संख्या–8 में इसका उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम

• **पृष्ठभूमिः–** राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम भारत सरकार के बायो,उर्जा, नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार से 12 वीं पंचवर्षीय योजना के केन्द्रपोषित राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम संचालित किया जाता है जिसमें बायोगैस संयत्रों के निर्माण हेतु लाभार्थी को अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है। जिस हेतु शासन के द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी को को लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। लक्ष्यों के अनुरूप जिला विकास अधिकारी के द्वारा विकास खण्डों को बायोगैस संयत्र के निर्माण हेतु लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं।

• **कार्यों की स्वीकृति एवं निष्पादनः–** खण्ड विकास अधिकारियों के द्वारा विकास खण्डों में लघु एवं सीमान्त कृषकों का जिनके पास अधिक मात्रा में पशु उपलब्ध हों तथा प्रर्याप्त मात्रा में पशु गोबर उपलब्ध हो का चयन किया जाता है तथा उसके पश्चात् लाभार्थियों से लगभग 3 घन मीटर तक के बायोगैस संयत्र का निर्माण कार्य करवाया जाता है जिसका प्रयोग लाभार्थियों के द्वारा रसोई गैस के रूप में किया जाता है।

• **धनराशि की स्वीकृतिः–** बायोगैस संयत्र के निर्माण हेतु कुल रू0 11,000 की अनुदान धनराशि प्रति लाभार्थी प्रदान की जाती है। जिसे 50 प्रतिशत कार्य के मध्य में तथा 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् संयत्र की फोटोग्राफ्स तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात् अवमुक्त की जाती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

• **पृष्ठभूमिः**– मनरेगा योजना भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 02 अक्टबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया है। यह योजना प्रत्येक वर्ष में ग्रामीण परिवार के वयस्क जाब कार्ड धारक को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराती है। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अर्धकौशलपूर्ण या बिना कौशल पूर्ण कार्य चाहे व गरीबी रेखा से नीचे हो या न हों।

• **योजना की प्रक्रियाः**– ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र व पता जमा कराते हैं। जांच के पश्चात् उन्हें जाब कार्ड प्रदान किया जाता है। जॉब कार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा व उसकी फाटो शामिल होती है। पंजीकृत व्यक्ति कार्यक्रम अधिकारी को कार्य करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस अधिनियम के तहत पुरूषों और महिलाओं के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए पुरूष तथा महिला के बीच समानरूप से भुगतान किया जाता है तथा सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• **योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकारी** :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पदाभिहित है। जिला कार्यक्रम समन्वयक इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिले में स्कीम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं।